(1)

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक – 1143 / 53-1 / उरई, दिनांक, अक्टूबर 09 2017।

निर्माण खण्ड –3 लो0नि0वि0, उरई
डायरी नं0 4576
फाइल नं0 148
दिनांक 10-10-17

डायरी नं0 4416
दिनाँक 9-10-17
फाइल नं0 1c-9...

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–3,
लोक निर्माण विभाग उरई।

विषयः– जिला मुख्यालय को चार लेन जोडने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2016–17 जनपद जालौन में बिलराया पनवाड़ी राजमार्ग संख्या–21 के कि0मी0 चैनेज 318.00 से 352.00 तक जालौन से औरैया तक चार लेन निर्माण में प्रभावित 42.60301 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2686 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/06/43/2017/एफ0सी0/323 दिनांक 18.09.2017।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठांकित है के द्वारा उक्त विषयक परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुसार निम्नानुसार अनुपालन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके अनुवर्ती वर्षो में अनुरक्षण की धनराशि – . 18203400.0
2. 42.60301 हे0 संरक्षित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि– 26669484.00 कुल– 44872884.00 (रू0 चार करोड़ अड़तालीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ चौरासी रू0 मात्र) की धनराशि लेखा संख्या Compensataory afforestation fund (CAF) Utter Pradesh SB A/c No. 25230 Corporation Bank, New Delhi or Corporation Bank CGO Complex, New Delhi 110003 (RTGS) IFSC No. CORPO000371 A/c No. 520101263743736 में जमा न करके समस्त देयकों को ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कराकर ऑन लाइन ई– रसीद के साथ अनुपालन आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा तथा अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे फारवर्ड एवं बैकवर्ड वियरिंग भी लिखाने का कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कराया जायेगा।
5. इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि आई0आर0सी0 के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रेल जोन बैंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार ने दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन पर सड़क के दोनो तरफ तथा मीडियन पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार को प्रेषित करना होगा।

Copy to AE-I, JT/Sa...

AEI
AE
10/10/17

क्रमश........पेज 2 पर

Covering letter ...

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

7. इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में सभी नियम कानून तथा दिशां निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र ऑन लाइन ई– रसीद के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि इस कार्यालय द्वारा अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(बी0आर0 अहिरवार)
प्रभाग्रीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0,वन प्रभाग उरई।

पृ0सं0– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्यवन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी0आर0 अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0,वन प्रभाग उरई।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)